ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

मिथिला में विधवा नारी का धर्म

भारत कुमार मण्डल

शोधार्थी, संस्कृत विभाग, ल0ना0मि0विश्वविद्यालय, दरभंगा–846004(बिहार)

मिथिला में विधवा की स्थिति बड़ा ही दयनीय रही है। उसे सामाजिक आदर और सम्मान ने वंचित कर दिया जाता था। उसे अभागिन माना जाता था। लोगों के मन में यह भी घनीभूत हो गया था कि विधवा को देखना अमंगलकारी है। उससे आशीर्वाद लेना भी अशुभ माना जाता था। इस तरह मिथिला में विधवा को सामाजिक व्यवस्था से अलग–थलग कर दिया गया था।[1] उसके लिए अनेक प्रकार के नियम कानूनों का सृजन किया गया, जिससे वह अपने आप पर नियंत्रण रख सके। **हरित** का विचार है कि विधवा स्त्री की जिह्वा, हस्त, पाग आदि इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर दिन–रात पति के सोच में रहते हुए तपस्वी के रूप में रहना चाहिए।[2] विधवा स्त्री का सामाजिक व्यवस्था में दो मुख्य कर्त्तव्य निर्देशित किए गए थे। जिनमें किसी एक का अनुसरण करना वांछनीय था। पहला पति के साथ सहमरण या अनुमरण करना अर्थात सती होना दूसरा कठोर ब्रह्मचर्यवर्त का पालन करते हुए भगवतभजन में लगे रहना। व्यवस्थाकारों ने ऐसी व्यवस्था इसलिए दिया कि विधवा का चरित्र और आचरण शुद्ध रह सके, तथा समाज का नैतिक और सामाजिक स्तर ऊँचा रह सके। इसलिए विधवा विवाह के लिए धर्मशास्त्रकारों ने अनुज्ञा दी है। वृहस्पति के अनुसार पति के मृत्यु पर जो पतिव्रता साध्वी नियम निष्ठा का पालन करती है वह सभी पापों से मुक्त हो परलोक गमन करती है। नित्य, व्रत और उपवास में निरत रहने ब्रह्मचर्यवती का पालन जो अपूत्रा विधवा करती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है।[3] मनु के अनुसार पति के मृत्योपरान्त विधवा कंद, फल, मूल के आहार से अपना शरीर छीन करें तथा दूसरे पुरूष का नाम भी न ले ऐसी विधवायें अनुकरणीय है।[4] पुराणों में भी विधवा के लिए कठोर जीवन अपनाने के लिए कहा गया है। जमीन पर सोना क्रोध न करना, धूर्तता न करना, श्वेत वस्त्र धारण करना तथा जितेन्द्रीय रहना उसका परम कर्त्तव्य था। आभूषण का त्याग मलीन वस्त्र धारण करना और केश न रखना उसके लिए निर्देशित किया गया है।[5] इस संबंध में काम और रती का पौराणिक उदाहरण है– काम के भस्म होने के उपरान्त रति ने अपने आभूषण त्याग दिए थे और केश बिखर गए थे। स्ट्रेवो के अनुसार जीवन पर्यन्त उसे कोई यज्ञ करने का अधिकार नहीं था।[6] मिथिला इससे अपवाद नहीं था। यहाँ के व्यवस्थाकारों ने उसके लिए कठोर व्रत का पालन करने का निर्देश दिया था। ये सारी व्यवस्थाएँ विधवाओं का मानसिक शोषण करती थी और उनका वैधव्य जीवन कष्टपूर्ण और दुःखद था। उपनयन, विवाह आदि शुभ अवसर पर केवल सधवाएँ ही वधु के साज श्रृंगार करती थी। विधवाओं का वहाँ जाना प्रतिबन्धित था। इस तरह तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में विधवा का जीवन पीड़ादायक था। उनके लिए नित्य, व्रत, उपवास आदि करने का प्रावधान था। उसके लिए बाल सृजित करना, पान खाना सुगन्धित द्रव्य का इस्तेमाल करना, अलंकार धारण करना दिन में दो बार खाना वर्जित थे। किन्तु जो महिलायें श्रमिक है, मजदूरी करती है, उनपर ये प्रतिबंध लागू नहीं थे। वे दूसरा विवाह भी कर सकती थी।

उपरोक्त विवेचन से यह परिलक्षित होता है कि मिथिला की उच्च वर्ग की नारियाँ जो पराश्रित थी, कोई काम नहीं कर सकती थी, उसे निर्णय की स्वतंत्रता नहीं थी ऐसी ही नारियों का वैधवपूर्ण जीवन नारकीय था। समाज के कामपिपाशु पुरूषों की वक्रदृष्टि उनपर लगी रहती थी। उसके ऊपर इतने कठोर नियम लागू किए गए कि काया–कलेश कर काम विपासा को शांत रखने की व्यवस्था व्यवस्थाकारों ने दी थी। इस तरह मिथिला में विधवा का जीवन सहज और सरल नहीं था।

इस तरह मिथिला समाज में धर्मशास्त्रीय व्यवस्था के कठोर होने के कारण पति–पत्नी में संबंध विच्छेद कम होते थे। किन्तु विवेच्य काल में भी स्त्री के प्रति आधुनिक सोच के अनुसार पत्नी स्वतंत्रता की कोई भी बात धर्मशास्त्रकारों ने नहीं किया। धर्मशास्त्रकार एक पक्षीय उपेक्षा करते थे कि पत्नी हर स्थिति में पति के सेविका की रहे। किन्तु, जब स्थितियाँ नियंत्रण से बाहर हो जाती थी तो पत्नियाँ विद्रोह करती थी और वैसी विषम परिस्थिति में पतीत पति से उसे छुटकारा तो मिलता था किन्तु, सामाजिक व्यवस्था उसे अच्छा नहीं मानता था। मिथिला की विवेच्य समय की पत्नियाँ शोषित और उत्पीड़ित थी। किन्तु सामाजिक व्यवस्था इतना जटिल था कि वे सभी कष्ट झेल लेती थी।

सती प्रथा समाज में फैली हुई वह कुरीति थी जिसमें जीवित विधवा पत्नि को मृत पति की चिता पर जिंदा ही जला दिया जाता था। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए ब्रहम् समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ने समाज के घोर विरोध के बावजूद इस अमानवीय प्रथा के विरूद्ध निरन्तर लम्बे समय तक आन्दोलन चलाया। इसमें उनका विरोध इतना अधिक था की एक अवसर पर तो उनके जीवन को भी खतरा उत्पन्न हो गया था लेकिन इस सब के बावजूद वे इसे समाप्त

RRIJM 2015, All Rights Reserved

करने के लिए लगातार विरोध करते रहे तथा प्रयासरत रहे। इसी का परिणाम था कि 1829 में लार्ड विलियम बैंटिक द्वारा विधवाओं को जिंदा जलाना अपराध घोषित कर दिया गया। जिस समय ब्रिटेन में प्रिवी कोंसिल के समक्ष सती प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तब सती प्रथा के कट्टर समर्थक लोगो ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ब्रिटिश संसद के समक्ष अपना विरोधी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि सती प्रथा को समाप्त न किया जाय लेकिन प्रिवी कोंसिल ने सती प्रथा को दण्डनीय अपराध घोषित करने का निर्णय सुनाया।

समाज में फैली हुयी कोई भी ऐसी प्रथा जिससे मानव प्राणी किसी भी प्रकार का कष्ट झेलता है तो उस प्रथा को मानव हित में समाप्त करना आवश्यक हो जाता हैं। कुप्रथाओं को समाप्त करने में भी उनके विरोध में जो भी समाज सुधारक सामने आये उन्हें समाज के उन लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा जो उन प्रथाओं के पक्ष में थे। इन विरोधों के होते हुए भी संसार के विभिन्न देशों में अपने समाज से इस तरह की कुप्रथाओं को समाप्त किया।

<u>संदर्भ सूचीः</u>–

1. स्कन्दपुराण–4.17–74
2. कृतकल्पतरू व्यवहारकाण्ड, पृ0–634
3. वृहस्पतिस्मृति–21.15
4. मनुस्मृति–5.157
5. मत्स्यपुराण
6. मैक्रिंडर–69